संख्याः-23/2017/2746/78-2-2017-42आई0टी0/2017

प्रेषक

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 29 अगस्त 2017

विषयः- दिनाक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त निविदायें अनिवार्य रूप से ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश दिनांक 12 मई 2017 द्वारा सभी निर्माण कार्यो सेवाओं/जाब-वर्क एवं सामग्री के क्रय तथा चालू दर एव दर-अनुबन्ध (रेट कान्ट्रैक्ट) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू कर दी गई है तथा दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है।

2- आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा जनपदों के समस्त विभागों/कार्यालयों/ संगठनों हेतु राज्य मुख्यालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी द्वारा टेण्डरिंग इकाईयों के क्रय समिति के सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर तथा ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण सुनिश्चित कराये जाने का नियमित रूप से अनुरोध किया जाता रहा है। नोडल अधिकारी द्वारा मण्डल/जनपद स्तर पर क्रय समिति के सदस्य नामित करने की प्रक्रिया संलग्न प्रपत्र में उल्लिखित की गयी है। सम्बन्धित क्रय समिति के सदस्य द्वारा संलग्न शीट को भरकर अपने मूल विभाग के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना होगा। तत्पश्चात विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा क्रय समिति के सदस्यों को ई-टेण्डर पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।

3- प्रदेश के मण्डल एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में दिनाक 01 सितम्बर 2017 से अनिवार्य रूप से ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से समस्त मण्डलों/जनपदों के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जुलाई 2017 से तैनात मास्टर ट्रेनर अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया होगा।

4- यदि किसी विभाग के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अभी तक ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण प्राप्त नही किया गया है तो वे मण्डल स्तर पर तैनात मास्टर ट्रेनर से सम्बन्धित मण्डल पर उपस्थित होकर तत्काल प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। उल्लेखनीय है कि दिनाक 01 सितम्बर 2017 से मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सम्बन्धित मण्डल कार्यालय पर ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जा चुका है अतः प्रदेश के (NIELIT) कार्यालयों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है।

5- अवगत कराना है कि योजना भवन लखनऊ के ई-फ्लोर स्थित सभागार में प्रातः 10:00 बजे से 01:00 तक ई-टेण्डरिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा यूपीएलसी के 10 अशोक मार्ग लखनऊ स्थित कार्यालय पर प्रत्येक कार्य दिवस को अपरान्ह 02 बजे से 05 बजे तक ई-टेण्डरिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ईटेण्डरिंग प्रणाली से सम्बन्धित जानकारी/सहायता यथा डिजिटल सिग्नेचर अवशेष अधिकारियों को ई-टेण्डरिंग प्रशिक्षण इत्यादि के लिये श्री प्रवीण कुमार उप महाप्रबन्धक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड 10 अशोक मार्ग लखनऊ से व्यक्तिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रूप से अथवा दूरभाष 0522-2286808 2286809 अथवा मोबाइल नम्बर 09235567201 अथवा हेल्प डेस्क 0522-4130303 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय
संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं तद्‌दिनाक</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

1- मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रबन्ध निदेशक यूपीएलसी ।
4- (NIELIT) केन्द्र विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एम0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

http:/ shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।